नम्बर व तारीख
बहुकाम जो
हुक्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम चमनपुरा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 15/2016 राजस्व वाद

अनवान

1. मुश्ताक मेहरात पिता रोशन मेहरात (मुसलमान) उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

—— (वादी)

बनाम

1. रतन पिता छीतर कुम्हार उम्र वयस्क निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. देवीलाल पिता गोपाल माली उम्र वयस्क निवासी 3 संजय कॉलोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज0
3. राज राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री मुश्ताक मेहरात ....वादी मय अधिवक्ता
2. पेरोकार सरकार......... विपक्षी कम 03

दिनांक– 16.05.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम चमनपुरा में वादी स्वंय मय अधिवक्ता व राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 16.05.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53 ,188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम चमनपुरा पटवार क्षैत्र चमनपुरा तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 258 किता 3 कुल रकबा 05–08 बीघा भूमि का शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी हक हिस्सा प्रथक करते हुए प्रतिवादी संख्या 01, 02 शामलात यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है–

1 मुश्ताक मेहरात पिता रोशन मेहरात (मुसलमान) सा.देह खातेदार (वादी)

आ0न0	रकबा	लगान
36/1	00-02	0.27
37/1	00-02	0.27
38/1	00-02	0.27
कुल 03	रकबा 00–06 बीघा	0.81

2. रतन पिता छीतर कुम्हार सा.देह 6/17, देबीलाल पिता गोपाल माली निवासी 11/17 3 संजय कॉलोनी भीलवाडा खातेदार (प्रतिवादीगण)

आ0न0	रकबा	लगान
36	02-01	5.54
37	01-05	3.38
38	01-16	4.86
कुल 03	रकबा 05–02 बीघा	13.78

उपरोक्तानुसार भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 01, 02 के मध्य क्रम संख्या 1 व 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी कम 01, 02 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम चमनपुरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा